

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई०ए०एस०

मि०न० 39/अपील/23

तारीख दायरा: 20.10.2023

रूपलाल पुत्र अमरसिंह जाति धाकड़ निवासी पाउखेड़ी पटवार
हल्का चछलाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़

(अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सुनेल

(रेस्पोजेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड़
प्रकरण संख्या 489/23 दिनांक: 06.10.2023

उपरिस्थित:- श्री गिरीराज नागर, अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार



-: निर्णय :-

दिनांक: 09.01.2024

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 06.10.2023 जो मिसल न० 489/2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम पाउखेड़ी पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल की आराजी ख०न० 112 रकबा 3.8066 है० किस्म चारागाह में से 0.1265 है० पर बाड़ बागर करने का अतिकमी मानकर 48/-रु० शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं पत्रावली संग्रहसार के विरुद्ध होने से निरस्तनिय है, अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अतिकमी गलत माना गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिकमण नहीं किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।


अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।


अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा मौके से अतिकमण हटा लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेराकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा अतिकमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार तहसील सुनेल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलान्त ने वर्तमान में प्रश्नगत आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को राहत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 87 दिनांक 13.11.2021 से 48/-रु0 शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार सुनेल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा प्रश्नगत आराजी से कब्जा हटा लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम 20000/- रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर होने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक: 9.01.2024 को मेरे द्वारा  कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
हालावाड़